

मानव तस्करी (ह्यूमन ट्रैफिकिंग)

क्या आपको मदद की ज़रूरत है?

न्यूज़ीलैंड पुलिस और इमिग्रेशन न्यूज़ीलैंड आपकी मदद करेंगे।

पुलिस को 105 नंबर पर फोन करें या ऑनलाइन 105.police.govt.nz पर रिपोर्ट करें।

आपातस्थिति में सदैव 111 पर फोन करें।

आप गुमनाम रूप से **0800 555 111** नंबर पर या ऑनलाइन Crime Stoppers (क्राइम स्टापर्स) को

www.crimestoppers-nz.org/report पर रिपोर्ट कर सकते हैं







क्या आप तस्करी की स्थिति में हैं? अपने आप से पछें:

- > क्या किसी ने आपके पासपोर्ट या पैसे पर कब्जा कर रखा है?
- क्या आपके दरवाजे या खिड़िकयों पर ताले लगे हैं जो आपको बाहर जाने से रोकते हैं?
- क्या आपको खाने / सोने / बाथरूम जाने के लिए अनुमित लेने की जरूरत है?
- क्या आपको खरीदारी करने और लोगों से मिलने-जुलने के लिए कोई छुट्टी नहीं दी जाती?
- > क्या आपको बहुत कम या बिल्कुल भी पैसे (वेतन) नहीं दिए जा रहे हैं?
- > क्या आपको कर्ज चुकाने के लिए काम करने को मजबूर किया जा रहा है?
- यदि आप सहयोग नहीं करते हैं तो क्या आपको या आपके परिवार को (हिंसा, जेल-समय या निर्वासन की) धमकी द्वी गई है?
- क्या आपने याता की है या आपको ऐसे काम के लिए भर्ती किया गया है जो अवैध है, आपको किए गए वायदे से कम भुगतान किया गया है, या बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया गया है?

यदि आपने इनमें से किसी भी सवाल का हाँ में जवाब दिया है, तो न्यूज़ीलैंड पुलिस से मदद लें।

इसकी रिपोर्ट करें

लोगों की तस्करी मानवाधिकारों का उल्लंघन है – इसे अनदेखा न करें

किसी भी व्यक्ति को मदद की जरूरत हो सकती है अगर वे:

- > अपने काम की जगह पर रहते हैं (दरवाजों के बाहर तालों पर ध्यान दें)
- > बयानों और कहानियों का 'पूर्वाभ्यास' किया गया है
- पैसे या किसी भी प्रकार की आईडी नहीं है (पासपोर्ट को रोक कर रखा गया है)
- > ज्यादा घंटों तक काम करते हैं और / या कोई छुट्टी नहीं मिलती है
- एक 'एस्कॉर्ट (नजर रखने वाले)' या 'अनुवादक' आपके लिए बोलता है और आप पर नजर रखता है
- आपको अपने नियोक्ता और अधिकारियों से असामान्य रूप से डर लगता है
- उपेक्षित मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य (संभावित मादक द्रव्यों के सेवन या स्वयं को नुकसान पहुंचाने) के लक्षण दिखाई देते हैं

पुलिस को 105 नंबर पर फोन करें या ऑनलाइन 105.police.govt.nz पर रिपोर्ट करें। आपातस्थिति में सदैव 111 पर फोन करें।

आप गुमनाम रूप से 0800 555 111 नंबर पर या ऑनलाइन Crime Stoppers (क्राइम स्टापर्स) को www.crimestoppers-nz.org/report पर रिपोर्ट कर सकते हैं